रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02012023-241590
CG-DL-W-02012023-241590

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 47] नई दिल्ली, दिसम्बर 18—दिसम्बर 24, 2022, शनिवार/ अग्रहायण 27—पौष 3, 1944
No. 47] NEW DELHI, DECEMBER 18—DECEMBER 24, 2022, SATURDAY/AGRAHAYANA 27—PAUSHA 3, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि.198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कैन्टीन स्टॉफ भर्ती नियम, 2000 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक प्रबंधक–सह–स्टोर कीपर, हलवाई–सह–रसोइया और कैंटीन परिचारक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम**– सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कैंटीन स्टॉफ (सहायक प्रबंधक–सह–स्टोर कीपर, हलवाई–सह–रसोइया और कैंटीन परिचारक) पद के भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **आवेदन** – ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि**– भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**– जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सहायक प्रबंधक–सह–स्टोर कीपर ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4 (रू. 25,500–81,100/–) **टिप्पण**– उन्हें टाइप ए,बी,सी,डी तथा 2ए, 3ए कैंटीनों में कार्य करने के लिए प्रतिमाह रू. 250/– का विशेष भत्ता भी मिलेगा और टाइप 4ए तथा उससे ऊपर की श्रेणी के कैंटीनों में कार्य करने के लिए प्रतिमाह रू. 500/– का विशेष भत्ता मिलेगा।	अचयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या पतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति :—   वेतन मैट्रिक्स स्तर –2 (रू. 19,900–63,200 / –) में 8 वर्षीय नियमित सेवा वाले कैन्टीन परिचालक ।   **टिप्पण**– जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।   **प्रतिनियुक्ति**–   नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला अधिकारी ; या   वेतन मैट्रिक्स के स्तर–2 (रू. 19,900–63,200 / –) में आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले लिपिक ।   **टिप्पण 1**:– प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।   **टिप्पण** 2:– प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसका संरचना क्या है ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे– 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य ; 3. प्रशासनिक अधिकारी(ग्रेड–II या ग्रेड–III), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. हलवाई–सह–रसोइया।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अतकनीकी, अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 3 (रू. 21,700–69,100 / –)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की स्थिति में 40 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों की स्थिति में 45 वर्ष तक की आयु के सरकारी कर्मचारियों हेतु छूट दी जाएगी) **टिप्पण 1**– आयु सीमा पर निर्णय लेने हेतु अंतिम तारीख भारत में (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य	**आवश्यक** : – a) किसी भी सरकार या सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या 10+2 पास या कैटरिंग प्रमाणपत्र में डिप्लोमा। b) उम्मीदवार की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए खाना पकाने के लिए एक व्यावसायिक कौशल परीक्षा आयोजित की जाएगी।

	क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पंगी सब डिवीजन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के निवासियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख पृथक होगी।) उम्मीदवारों से आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होंगी। **टिप्पण 2** –रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**वांछनीय** – सरकार या सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुक या हलवाई के रूप में एक से दो साल का अनुभव।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु 02 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रतिनियुक्ति**– केन्द्रीय सरकार के अधिकारी जो : (a) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों ; या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 2 (रू. 19,900–63,200/–) में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा के साथ सहायक हलवाई–सह–रसोइया। **टिप्पण** 1 – प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर ब्राहय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधरणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण** 2 –प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह – ग विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण हेतु) निम्न युक्त होंगी – 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी –अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी– सदस्य ; 3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II एवं ग्रेड III- सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी–सदस्य ।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. कैंटीन परिचारक।	06* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अतकनीकी,अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 1 (रू. 18,000–56,900/–)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के मध्य (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की स्थिति में 40 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों की स्थिति में 45 वर्ष तक आयु तक के सरकारी कर्मचारियों हेतु छूट दी जाएगी) **टिप्पण 1**– आयु सीमा पर निर्णय लेने हेतु अंतिम तारीख भारत में (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, लाहौल और स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पंगी सब डिवीजन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के निवासियों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख पृथक होगी।) उम्मीदवारों से आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख होंगी।	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष ।

टिप्पण–2 रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	02 वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।

(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रान्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे– 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड II एवं ग्रेड III), सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी – सदस्य ।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/62/2018-पुलिस प्रशिक्षण]

रमण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st December, 2022

G.S.R. 198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the SardarVallabhbhai Patel National Police Academy Canteen Staff Recruitment Rules, 2000 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Manager-cum- Store Keeper, Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant in the SardarVallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the SardarVallabhbhai Patel National Police Academy, Canteen Staff (Assistant Manager-cum- Store Keeper, Halwai-cum-Cook and Canteen Attendant)Recruitment Rules,2022.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**- These rules shall apply for the post specified in the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and level in the pay matrix. -**The number of posts there classification and pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.-**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** - No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ;or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

   shall be eligible for appointment to the above said posts:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Assistant Manager-cum-Store Keeper.	01* **(2022)** *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay level-4 (Rs. 25,500 – 81,100/-)in the pay matrix. **Note:** He shall also draw Special Allowance of Rs. 250/- per month for attending to duties in canteens Type 'A', 'B', 'C' 'D' and '2-A' and '3- A' and Rs. 500/- per month in Canteens Type '4 –A' and above.	Non-Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(11)
Promotion: Departmental Clerk in the scale of pay level-2(Rs. 19,900-63,200/-) of pay matrix with eight years regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the level higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation**: (i) Official holding analogous post on regular basis ; or (ii) Clerks with eight years regular service in pay level-2 (Rs. 19,900-63,200/-) of the pay matrix. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (i) Deputy Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; (ii) Assistant Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy – Member; (iii) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member.	Not applicable.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. Halwai-cum- Cook.	01*(2022) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Technical, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 (Rs. 21,700 – 69, 100/-) in the pay matrix.	Not applicable.

(6)	**(7)**
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time totime). **Note 1**. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2**. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**1. Essential:** (a) Intermediate or 10+2 pass or Diploma in catering certificate from any Government or Government recognized Board or University. (b) A Trade Skill Test for cooking shall be conducted to assess suitability of the candidate. **Desirable**: Having one to two years work experience as Cook or Halwai in a Government or public Sector undertakings.

(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years for direct recruitment.	By deputation failing which by direct Recruitment.

(11)
Deputation: Officials of the Central Government:- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Assistant Halwai-Cum-Cook with at least three years regular service in level -2 (Rs. 19,900 – 63,200/-) of the pay matrix. **Note-1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall ordinarily not exceed three years. **Note-2:** The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; (ii) Assistant Director, SardarVallabhbhaiPatelNational Police Academy –Member; (iii) Administrative Officer(Grade-IIor Grade-III),SardarVallabhbhai Patel National Police Academy – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Canteen Attendant.	06* (2022) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, NonTechnical, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs. 18,000-56,900/-) in the pay matrix	Non applicable.

(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1**. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except for the candidates from Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, the Union territory of Ladakh, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep). **Note 2**. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation or equivalent from any recognised Board.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy –Chairman; (ii) Assistant Director, SardarVallabhbhai Patel National Police Academy –Member; (iii) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy –Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/62/2018-Police Training]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक उसका संबंध चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्त्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी	08* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता ।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

	सकता है।				**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाजशास्त्र में स्नातक डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री के साथ समाज कार्य में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा; और (ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण- 2** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण करना होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभाग के प्रमुख, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के प्रशासन कार्य देखने वाले उप निदेशक - सदस्य; 4. उप निदेशक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.11018/24/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd December, 2022

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardings Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as they relate to the post of Medical Social Worker, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Social Welfare Officer in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Medical Social Welfare Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. – The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached there to, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Social Welfare Officer.	08 (2022) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for the Government servant's upto the age of five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential qualification:** (a) (i) Bachelor Degree in Social Work or Sociology from a recognised University or institute or Degree in any discipline with at least one year diploma in Social Work from a recognised University or institute; and (ii) Two years' experience in the field of Medical Social work in Government recognised hospital or institution, or (b) (i) Master's Degree in Social Work or Sociology from a recognised University or institute; and (ii) One year experience in the field of medical social work in Government recognised hospital or institution. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of

	candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruitment. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	Deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department ;or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs 29200 -92300) or equivalent in the parent cadre or Department ; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital , New Delhi -Member; (3) Deputy Director in Directorate General of Health Services looking after the administration work of Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member; (4) Deputy Director, Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/24/2019-MH-II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बेंगलूरु, 22 दिसम्बर, 2022

सा.का.नि. 200.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रपति, अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में मल्टी टास्किंग स्टाफ के समूह 'ग' पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

1. **लघु शीर्षक और आरंभ -** इन नियमों को अंतरिक्ष विभाग/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु अंतरिक्ष विभाग भर्ती नियम, 2022 कहा जाए।

   ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यादि -** उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता तथा अन्य संबंधित मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।

4. **अपात्रता -** कोई भी ऐसा व्यक्ति,

   क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

   अथवा,

   ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:

   बशर्ते, यदि केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमति है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान कर सकती है।

5. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा ऐसा करना व्यावहारिक है, तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

6. **व्यावृत्ति-** इन नियमों से, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है?
1	2	3	4	5
मल्टी टास्किंग स्टाफ	कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए	सामान्य केंद्रीय सेवाएं समूह 'ग' (गैर-राजपत्रित), गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (रु.18000-56900)	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
18 से 25 वर्ष	मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण अथवा आइ.टी.आइ. उत्तीर्ण (पद की विशेष आवश्यकताओं, यदि कोई हो, के अनुसार अपनाया जाए)	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा तथा अनुकंपा नियुक्ति **नोट:** अनुकंपा नियुक्तियां, भारत सरकार/अंतरिक्ष विभाग द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान आदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
लागू नहीं	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति में निम्न शामिल होंगे : (1) वरि./प्रधान, का. एवं सा.प्र. : अध्यक्ष (2) वरि./प्रधान, लेखा एवं आं.वि.स./ वरि. लेखा अधिकारी : सदस्य (3) वरि./प्रधान, क्रय एवं भण्डार / वरि. क्रय एवं भण्डार अधिकारी : सदस्य (4) वरि. प्रशासनिक अधिकारी : सदस्य सचिव **नोट:** जहाँ भी वरि./प्रधान, का. एवं सा.प्र. न हों, समूह प्रधान, पी.पी.ई.जी. समिति के अध्यक्ष होंगे।	लागू नहीं ।

[फा. सं. ए.12/1/2021-I]

संध्या वेणुगोपाल शर्मा, अपर सचिव

DEPARTMENT OF SPACE

Bengaluru, the 22nd December, 2022

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' post of Multi-Tasking Staff in Department of Space / Indian Space Research Organisation, namely :-

1. **Short title and commencement** - These rules may be called the Department of Space Recruitment Rules, 2022 for Multi-Tasking Staff in Department of Space / Indian Space Research Organisation.

   They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix** – The number of the said post, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification –** No person , -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of Posts**	**Classification**	**Levels in the Pay Matrix**	**Whether selection or non-selection post**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Multi-Tasking Staff	Depending on workload	General Central Services Group 'C' (Non - Gazetted), Non-Ministerial	Level 1 (Rs. 18000-56900) in the Pay Matrix	Not Applicable

Age Limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for directs will apply in the case of promotees.**
6	**7**	**8**
Between 18 to 25 Years	Matriculation or equivalent pass OR ITI pass (May be adopted as per special requirements of the post, if any)	Not Applicable

Period of probation, if any	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.**
9	**10**
Two years	By Direct Recruitment & Compassionate Appointment. **Note :** Compassionate appointments shall be regulated as per extant orders issued by Government of India / Department of Space from time to time.

In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion / deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition ?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	**12**	**13**
Not Applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1 Sr./Head, P&GA : Chairman 2 Sr./Head, Accounts & IFA/ Sr. Accounts Officer : Member 3 Sr./Head, Purchase & Stores / Sr. Purchase & Stores Officer : Member 4 Sr. Administrative Officer : Member Secretary **Note :** Wherever Sr. / Head, P&GA is not there, Group Head, PPEG will be Chairman of the Committee	Not Applicable.

[F. No. A.12/1/2021-I]

SANDHYA VENUGOPAL SHARMA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.01.02 16:31:48 +05'30'